



घर-घर
औषधि योजना

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ()मुवस/वसु/2021-22/3148
निमित्त,

दिनांक :- 13-4-2022

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- वनभूमि में आने वाला " Laying Underground Optical Fiber Cable Along the Road within the existing Row Ratabpur to khairwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length - 48.940 km" District- Dungarpur & Udaipur Rajastha." proposal No.FP/RJ/OFC/120932/2021)


संदर्भ :- आपका ईडीएस दिनांक 29.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित ईडीएस से आलौच्य प्रकरण में 0.2511 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति इस संभागाधीन वनमण्डल डूंगरपुर ने उनके पत्रांक एफ ()एफसीए/उवस/2021-22/1183 दिनांक 31.03.2022 एवं उप वन संरक्षक, उदयपुर ने उनके पत्रांक एफ ()/तकनीकी/उवस/2021-22/2406 दिनांक 07.04.2022 से पूर्ति कर प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्राप्त प्रतियाँ इस कार्यालय की सहमति के साथ ऑनलाईन कर हार्ड कॉपी की छाया प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(आर.क.सिंह)


संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

दिनांक :-

क्रमांक पत्रा 5()मुवस/वसु/2021-22/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

- 1- उप वन संरक्षक, डूंगरपुर को उनके पत्रांक 1183 दिनांक 31.03.2022 के क्रम में।
- 2- उप वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक 2406 दिनांक 07.04.2022 के क्रम में
- 3- Telesonic Network Limited K-21, Sunny House, Malviya Marg C- Scheme, Jaipur


संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज.)पिन-313001

E-mail :-dcf.udpr.forest

@gmail.com Phone/Fax-(0294)2429239

क्रमांक:-एफ()/तकनिकी/उ.व.स./2021-22/2406

दिनांक:-7/4/22

निमित्त

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर



विषय:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District - Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)

सन्दर्भ:- आपका EDS दिनांक 05.04.2022 के कम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से TELESONIC NETWORKS LIMITED द्वारा Ratanpur To Kherwara, Total Route Length- 48.940 km तक केबल कार्य करवाने हेतु प्रस्तावित केबल मार्ग के वन क्षेत्र पड़ने से कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये। EDS अनुसार गजट नोटिफिकेशन वनखण्ड छाणी एवं झाड़री को पार्ट-II में अपलोड कर दिया गया है। केबल लाईन वनखण्ड छाणी व पाटिया उर्फ झाड़री से गुजरेगी। छाणी रक्षित वन व पाटिया उर्फ झाड़री आरक्षित वन है। उक्तानुसार निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-एफ()/तकनिकी/उ.व.स.उ./21-22/
प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:-

1 Telesonic Networks Limited K-21, Sunny House, Malviya Marg C-Scheme, Jaipur-302001

उप वन संरक्षक,
उदयपुर (राज.)

Handwritten notes and signatures in blue and red ink, including the date 11/4/22 and the name 'Put up'.

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA)

Name of Project:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District –Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)
(Proposal No. FP/RJ/OFC/120932/2021)

A proposal has been received by this office from **TELESONIC NETWORKS LIMITED** for diversion (under FCA-1980) of **0.1305 ha** Of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for **Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District – Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)**

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **20-01-2022** On inspection of the site; it is found that land required by the user agency is a forest measuring **0.1305 ha**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof.....**NO**.....

Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from component authority, if required.....**NO**.....


(a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without Proper sanction.

(b) it falls in Chhani and Patia urf Jhanjhari forest block. Chhani is declared as Protected Forest While Patia urf Jhanjhari as Reserved Forest.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

I recommended for acceptance of the proposal .

Place: Udaipur
Date: 28-01-2022


(Signature)
Name:- Mukesh Saini
Designation :- Dy. Conservator of forest ,
Udaipur
Official Seal.....

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA)

Name of Project:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District –Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)
(Proposal No. FP/RJ/OFC/120932/2021)

A proposal has been received by this office from **TELESONIC NETWORKS LIMITED** for diversion (under FCA-1980) of **0.1305 ha** Of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for **Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District – Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)**

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **20-01-2022** On inspection of the site; it is found that land required by the user agency is a forest measuring **0.1305 ha**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof.....**NO**.....

Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from component authority, if required.....**NO**.....


(a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without Proper sanction.

(b) it falls in Chhani and Patia urf Jhanjhari forest block. Chhani is declared as Protected Forest While Patia urf Jhanjhari as Reserved Forest.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

I recommended for acceptance of the proposal .

Place: Udaipur
Date: 28-01-2022


(Signature)
Name:- Mukesh Saini
Designation :- Dy. Conservator of forest ,
Udaipur
Official Seal.....

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA)

Name of Project:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District –Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)
(Proposal No. FP/RJ/OFC/120932/2021)

A proposal has been received by this office from **TELESONIC NETWORKS LIMITED** for diversion (under FCA-1980) of **0.1305 ha** Of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for **Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District – Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)**

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **20-01-2022** On inspection of the site; it is found that land required by the user agency is a forest measuring **0.1305 ha**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof.....**NO**.....

Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from component authority, if required.....**NO**.....


(a) **The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without Proper sanction.**

(b) **it falls in Chhani and Patia urf Jhanjhari forest block. Chhani is declared as Protected Forest While Patia urf Jhanjhari as Reserved Forest.**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

I recommended for acceptance of the proposal .

Place: Udaipur
Date: 28-01-2022


(Signature)
Name:- Mukesh Saini
Designation :- Dy. Conservator of forest ,
Udaipur
Official Seal.....

राज्य विभाग

विज्ञप्ति

संख्या F U (U.S.) No 40 E 2

दिनांक 2 - 7 - 1952

यदि एक साथ इलाक़े अनुवृत्ति से समाहित वन भूमि तथा बंजर भूमि में कृषकता उद्योग-उद्योग में और अन्य व्यवसायों में अधिकारी के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1946) के अन्तर्गत अधिनियम संख्या 13 की धारा (2E) की उपधारा (i) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसूची में किताबों का उल्लेख है। अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा (2E) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से राज्य सरकार परामर्श प्रेषित करती है कि कथित अधिनियम के अन्वय 4 के अनुसूच्य पूर्ववत् वन भूमि और बंजर भूमि पर जारी की गई एतदपरिचालन रजिस्टर बन्द करवाया जावेगा।

और अधिकारों की संक्षिप्त सूची (1) में उल्लेखित सीमा तक निम्न लिखे ऐसे भाग अधिकार रखते होंगे और संक्षिप्त सूची (2) में उल्लेखित सीमा तक, ऐसे भागों में, स्वतन्त्रता के ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जावे, रिजर्वेशन का उपयोग करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

SOA

शासन सचिव।

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
उदयपुर	खैरवाडा	छाणी	छाणी	180.80	सीमास्था विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न
			खिरौडा	455.80	
			जावडी	800.12	
			अरसोडावाडा	102.82	
			बायडी	801.08	
			कम्बई	211.85	
			घनौठ	151.68	
			अंजल	-	
			सुखवाडा	-	

1244.18 एकड़

TRUE-COPY.

Forest Settlement Officer,
UDAIPIUR (Rajasthan)

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर
Counter signed

राजस्थान राजपत्र, अग्रे वन विभाग १९५४, भाग १ (ख) पृष्ठ २६
 विज्ञापित

जयपुर, फरवरी २, १९५४

संख्या. एफ. २४ (२००) रैवेन्यू : ४३- १२१८६ ड:- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि राजस्थान फोरैस्ट एक्ट मन् १९५१ की धारा ४ के अनुसार इस विज्ञापित के प्रकाशित होने की तारीख से रिजर्व (व्यक्त रक्षायामा हुआ) जंगल बनाना निश्चित किया गया है और श्री नामसिंह बौहान, डिविजनल फोरैस्ट सेलमेन्ट आफिसर नियुक्त किये गये है. नियुक्त आफिसर को अधिकार होगा कि फोरैस्ट एक्ट की इसी धारा अनुसार रिजर्व रक्षाये जाने वाली भूमि में किसी व्यक्ति के हक, सीमा व उपज के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करे - निम्न दे.

नं० शु०	नाम डिस्ट्रिक्ट व तहसील	नाम रैन्ज	नाम ब्लाक जोरिजर्व होम	हुदद सिमा ब्लांक
४४	उदयपुर तहसील कोटडा	रैन्ज खेवाडा	झाड़ारी	३० पाटीया ५० भाम्त वारा ६० इंगरपुर ७० दोन्डे प्रसिडे

ह०
 आर० डी० माधु,
 सेक्रेटरी,

(मुकेश सैनी)
 उप वन संरक्षक
 उदयपुर
 Countersigned

राजस्थान राजपत्र, अग्रेल १०, १९५४, भाग १ (ख) पृष्ठ २६

वन विभाग
विज्ञापित

जयपुर, पत्रकी २, १९५४

संख्या. एफ. ३४ (२००) रैवेन्यू : ४३- १२१८८ ड:- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि राजस्थान फोरैस्ट एक्ट सन् १९५१ की धारा ४ के अनुसार इस विज्ञापित के प्रकाशित होने की तारीख से रिकर्ड (व्यक्त रखाया हुआ) जंगल बनाना निश्चित किया गया है और श्री नामसिंह बौहान, डिविजनल फोरैस्ट सेलमेन्ट आफिसर नियुक्त किये गये हैं. नियुक्त आफिसर को अधिकार होगा कि फोरैस्ट एक्ट की इसी धारा अनुसार रिकर्ड रखये जाने वाली भूमि में किसी व्यक्ति के हक, सीमा व उपज के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करे - निर्दिष्ट दे.

नं० ए०	नाम डिस्ट्रिक्ट व तहसील	नाम रैन्ज	नाम ब्लॉक जोरिक्ट होणे	हदुद सिमा ब्लॉक
४४	उदयपुर तहसील कोटडा	रैन्ज खेवाडा	झाड़ारी	ठ० पाटीया पू० भाम्त वारा द० इंगरपुर प० बोम्बे प्रसिडेन्

ह०
आर० डी० माधु,
सेक्रेटरी,

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर
Counter signed

राजस्थान राजमंत्र, अप्रैल १०, १९५४, भाग १ (स) पृष्ठ २६
 वन विभाग
 विज्ञापित

जयपुर, पत्रकारी २, १९५४

संख्या. एफ. ३४ (२००) रैवेन्सू : ४३- १२१८८ ड:- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि राजस्थान फोरैस्ट एक्ट मन् १९५१ की धारा ४ के अनुसार इस विज्ञापित के प्रकाशित होने की तारीख से रिकर्ड (व्यक्त रक्षायी हुआ) जाल बनाना निषिद्ध किया गया है और श्री नामसिंह बौहान, डिविजनल फोरैस्ट सेटलमेन्ट आफिसर नियुक्त किये गये हैं. नियुक्त आफिसर को अधिकार होगा कि फोरैस्ट एक्ट की इसी धारा अनुसार रिकर्ड रक्षायी जाने वाली भूमि में किसी व्यक्ति के हक, सीमा व उपस के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके निम्न लिखित दे.

नं० शु०	नाम डिस्ट्रिक्ट व तहसील	नाम रैन्ज	नाम ब्लॉक जोरिर्कड होम	हद सिमा ब्लॉक
४४	उदयपुर तहसील कोठडा	रैन्ज खैवाडा	झाड़ारी	उ० पाटीया पू० भाम्त वारा द० झंगपुर प० बोमै प्रसिडेन्

ह०
 आर० डी० माधु,
 सेक्रेटरी,

(मुकेश सैनी)
 उप वन संरक्षक
 उदयपुर
 Countersigned

कार्यालय उप वन संरक्षक, डूंगरपुर (राज0)

क्रमांक:-एफ()एफसीए/उवसं/2021-22/1183

जिला न्यायालय के पास उदयपुर रोड डूंगरपुर फोन नम्बर 02964-230841

दिनांक:-3/3/2022

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

विषय:- वन भूमि में आने वाला "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Ratanpur to Khairwara, M/s telesonic Networks Limited. Total Route Length-48.940 km." District- Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)" के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाईन किये गये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/120932/2021

प्रसंग:- आप द्वारा लगाए गए आक्षेप की पूर्ति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति विन्दुवार कर निम्नानुसार प्रेषित है-

1. प्रकरण के पार्ट-II के इस कार्यालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि का Legal Status में Revenue forest अंकित हो गया था, जिसे संसोधित कर Reserved Forest कर दिया गया है।
2. प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा CA भूमि का KML Upload हो गया था, उसे हटा दिया गया है।
3. प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा Recommendations में Not Applicable अंकित हो गया था, उसे संसोधित कर सही Recommendations अंकित कर दी गई है।

भवदीय
(सुपांग शशी)
उप वन संरक्षक
डूंगरपुर